

21/04/2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर्व 2014 से  
जकाव में विचारार्थी है। अनेक अवसर  
दिये जाने पर भी आदिनांक जकाव पेश  
नहीं हुआ है। वकील उमयपक्ष आज न्यायालय  
में हाजिर नहीं है। न्यायालय में पृथक-  
पृथक समय पर तीन-तीन बार वकील  
उमयपक्ष ~~आगे~~ आगे लगावकी गयी। बाबूद  
आगे लगावकी जाने पर भी न्यायालय में  
समय 5:30 बजे तक हाजिर नहीं आने के  
कारण पत्रावली अंतर्गत 0-9, R-3 जांच के  
के तहत अदम हाजिरी व अदम जैस्वी  
में खारिज की जाती है। पत्रावली फॉसल  
सुधार होकर नंबर से फस की जाकर  
दाखिल दफतर है। नियम से इजलास  
सुनाया जाकर मंत्री लखनपुर व न्यायालय  
सुझा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर  
साँभर लेक

